

झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

एफ.एफ.पी भवन, एच.ई.सी. परिसर, धुर्वा, राँची।

॥ अधिसूचना ॥

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 130 /राँची, दिनांक -31.01.2024

श्री अखिलेश कुमार (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद०-01(ख)-12/2014 का० 4315, दिनांक-26.07.2023 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुमार को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 131 /राँची, दिनांक -31.01.2024

श्रीमती मनीषा वत्स (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का० 635, दिनांक-30.01.2024 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्रीमती वत्स को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 132 /राँची, दिनांक -31.01.2024

श्री अमर जॉन आईन्द (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का० 631, दिनांक-30.01.2024 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री आईन्द को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 133 /राँची, दिनांक -31.01.2024

श्रीमती कंचन कुमारी भुदोलिया (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का० 632, दिनांक-30.01.2024 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्रीमती भुदोलिया को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।



अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 134 /राँची, दिनांक -31.01.2024

श्री राकेश कुमार गोप (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का० 634, दिनांक-30.01.2024 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री गोप को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 135 /राँची, दिनांक -31.01.2024

श्री मनोज कुमार (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का० 637, दिनांक-30.01.2024 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुमार को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 136 /राँची, दिनांक -31.01.2024

श्री राजेश एक्का (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का० 633, दिनांक-30.01.2024 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, प०सिंहभूम, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री एक्का को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 137 /राँची, दिनांक -31.01.2024

श्री जीतेन्द्र कुमार यादव (झा.प्र.से) जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का० 636, दिनांक-30.01.2024 के द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई है, को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री यादव को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-3(स्था०)-10/2013(खण्ड-II)- 138 /राँची, दिनांक -31.01.2024

श्री दिवाकर प्रसाद चन्द्रिका प्रसाद द्विवेदी (झा.प्र.से), जिला परिवहन पदाधिकारी, रामगढ़ को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री द्विवेदी को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(मनोज कुमार)

सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक- परि०वि०-3(स्था०)-10 / 2013 (खण्ड-II)-138

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची/ई-गजट (नोडल पदाधिकारी), परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/राँची, दिनांक -31.01.2024

सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक-परि०वि०-3(स्था०)-10 / 2013 (खण्ड-II)-138

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

/राँची, दिनांक -31.01.2024

सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक-परि०वि०-3(स्था०)-10 / 2013 (खण्ड-II)-138

प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/राँची, दिनांक -31.01.2024

सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग।